विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर।

प्रश्न			उत्तर
4	(क)	क्या औद्योगिक विकास मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य औद्योगिक प्राधिकरण (यूपीसीडा) में स्थानान्तरण सत्र 2023-2024 में महाप्रंबधक/क्षेत्रीय प्रबंधक/ परियोजना अधिकारियों के कितने स्थानान्तरण किये गये है ?	शासन द्वारा जारी वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2023-2024 के अन्तर्गत यूपीसीडा में महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी के कुल 12 स्थानान्तरण किये गये है।
	(ख)	उनका पदवार विवरण क्या है?	विवरण संलग्न है।
	(ग)	स्थानान्तरित किए गये कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध सतर्कता जांच प्रचलित है एवं कितने के विरूद्ध आपराधिक मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है तथा कितनों की पूर्व में बर्खास्तगी हो चुकी है?	संलग्न विवरण में वस्तुस्थिति अंकित है।
	(घ)	उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण महत्वपूर्ण पदों पर करने का क्या औचित्य है?	शासन द्वारा जारी वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण जनहित में किये गये हैं।
	(ड)	क्या उक्त स्थानान्तरण निरस्त करने पर विचार करेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।

Signed by
Nand Gopal Gupta Nandi
Date: 14-12-2024 11:47:13
(नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')
मंत्री
औद्योगिक विकास विभाग

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उत्तरालेख का संलग्नक।

वर्ष 2023–24 में शासन द्वारा यूपीसीडा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों में महाप्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी के पदों पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों का विवरण।

क0 सं0	स्थानान्तरित कार्मिक का नाम व पद नाम	यूपीसीडा में पूर्व में रही तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल/ कार्यभार ग्रहण की तिथि	स्थानान्तरण विषयक शासन का आदेश	जांच का विवरण/अभ्युक्ति
1.	श्री सन्तोष कुमार, सहायक महाप्रबन्धक	क्षेत्रीय प्रबन्धक, बरेली	क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज। 14.08.2023	कार्यालय ज्ञाप सं0 3929/ 77–4–23 दिनांक 30.06.2023	–
2.	श्री प्रदीप कुमार कौशिक, महाप्रबन्धक (सिविल)	यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।	अभियन्त्रण अनुभाग, मुख्यालय, कानपर। 12.12.2023	कार्यालय ज्ञाप सं0 3812/ 77–4–23, दिनांक 30.06.2023	–
3.	श्री सी0के0 मौर्या, सहायक महाप्रबन्धक (प्र0/सा0)	पीएम अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर	क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा। 13.07.2023	कार्यालय ज्ञाप सं0 3927/ 77–4–23 दिनांक 30.06.2023	यूपीएसआईडीसी (यूपीसीडा) में वर्ष 2008–2009 में सामान्य एवं बैकलॉग भर्तियों में अनियमितता की 'राज्य सतर्कता समिति' की 170वीं बैठक दिनांक 11.05.2022 में लिए गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान से खुली सतर्कता जॉच प्रचलित है। जॉच रिपोर्ट अप्राप्त है। इनका चयन भी इसी से आच्छादित है।
4.	श्री विनोद कुमार, प्रबन्धक(टेलीकॉम) **(दिनांक 31.08.2024 को सेवानिवृत्त)**	क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा	क्षेत्रीय प्रबन्धक, कानपुर। 13.07.2023	कार्यालय ज्ञाप सं0 3930/ 77–4–23 दिनांक 30.06.2023	श्री विनोद कुमार द्वारा ऑनलाईन भू–आंवटन के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 1281–20/ एसआईडीए/आईए/आफिस आर्डर, दि0 20.05.2019 के प्राविधानों के उल्लघंन के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3407/77–4–20–34 यूपीसीडा/20, दि0 22.10.2020 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी और अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर

					शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–6640/77–4–23–34यूपीसीडा/20, दिनांक 22.12.2023 द्वारा 'परिनिन्दा प्रविष्टि देते हुए संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोके जाने के साथ अवशेष एक वेतन वृद्धि जो आगामी वर्ष के लिए रोके जाने का अवसर न होने के कारण उतनी धनराशि की गणना कर उनके वेतन एवं अन्य देयकों से कटौती किये जाने का दण्ड' देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी। इसके अतिरिक्त निवेशकों के समक्ष परियोजनाओं की स्थापना के कार्य में आ रहे विभिन्न समस्याओं के निदान हेतु श्री विनोद कुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न किये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–5441/77–4–23, दिनांक 25.09.2023 द्वारा निलम्बित कर शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–5702/77–4–23–586/2023, दिनांक 25.09.2023 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। प्रकरण में अपचारी पर अधिरोपित मात्र 01 आरोप को जॉच अधिकारी द्वारा सिद्ध न पाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–4592/77–4–24–147/2023 दिनांक 06.08.2024 द्वारा श्री विनोद कुमार के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना दण्ड के समाप्त करते हुए उनका निलम्बन समाप्त कर सेवा में बहाल किया गया।
5.	श्री सन्दीप कुमार, प्रबन्धक (प्रशा0/सा0)	क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर	क्षेत्रीय प्रबन्धक, झांसी। 13.07.2023	कार्यालय ज्ञाप सं0 3933/77–4–23 दिनांक 23.06.2023	–
6.	श्री अजय दीप सिंह, प्रबन्धक (प्रशा0/सा0)	बी0पी0पी0सी0, मुख्यालय, कानपुर।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ एवं **परियोजना अधिकारी, उन्नाव।** 17.07.2023	कार्यालय ज्ञाप सं0 3924/77–4–23 दिनांक 30.06.2023	1. यूपीएसआईडीसी (यूपीसीडा) में वर्ष 2008–2009 में सामान्य एवं बैकलॉग भर्तियों में अनियमितता की 'राज्य सतर्कता समिति' की 170वीं बैठक दिनांक 11.05.2022 में लिए गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान से खुली सतर्कता जॉच प्रचलित है। जॉच रिपोर्ट अप्राप्त है। इनका चयन भी इसी से आच्छादित है।

Q, [signature]

					2. औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद स्थित भूखण्डों से सम्बन्धित प्रकरण में गम्भीर अनियमितताओं के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने के फलस्वरुप श्री अजयदीप सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिकन्दराबाद, यूपीसीडा के विरूद्ध शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–6439/77–4–21–सीएम24/20, दिनांक 23.12.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सीएम164/77–4–21–सीएम24/20, दिनांक 23.12.2021 द्वारा निलम्बित किया गया। श्री अजयदीप सिंह द्वारा शासन के उक्त आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या–3564/2022 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 के अनुपालन में शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1913/77–4–22–रिट24/22, दिनांक 07.07.2022 द्वारा श्री अजयदीप सिंह के निलम्बन आदेश दिनांक 23.12.2021 एवं प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश दिनांक 05.04.2022 को स्थगित किया गया है और इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही गतिमान है।
7.	श्री प्रदीप कुमार सत्यार्थी, प्रबन्धक (प्रशा0/सा0)	क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज	क्षेत्रीय प्रबन्धक, गाजियाबाद, 14.07.2023	कार्यालय ज्ञाप सं0 3928/77–4–23 दिनांक 30.06.2023	यूपीएसआईडीसी (यूपीसीडा) में वर्ष 2008–2009 में सामान्य एवं बैकलॉग भर्तियों में अनियमितता की 'राज्य सतर्कता समिति' की 170वीं बैठक दिनांक 11.05.2022 में लिए गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान से खुली सतर्कता जॉच प्रचलित है। जॉच रिपोर्ट अप्राप्त है। इनका चयन भी इसी से आच्छादित है।
8.	कु0 सीमा सिंह, प्रबन्धक (प्रशा0/सा0)	परियोजना कार्यालय ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद	क्षेत्रीय प्रबन्धक, अलीगढ़। 14.07.2023	कार्यालय ज्ञाप सं0 3932/77–4–23 दिनांक 30.06.2023	तदैव
9.	कु0 गेसू, प्रबन्धक (प्रशा0/सा0)	क्षेत्रीय कार्यालय, सूरजपुर।	क्षेत्र प्रबन्धक, एसईजेड, मुरादाबाद। 10.07.2023	कार्यालय ज्ञाप सं0 3925/77–4–23 दिनांक 30.06.2023	तदैव

10.	श्री अजय, उप प्रबन्धक (प्रशा0 / सा0)	क्षेत्रीय प्रबन्धक, अलीगढ़	क्षेत्रीय प्रबन्धक, अयोध्या। 17.07.2023	कार्यालय ज्ञाप सं0 3926 / 77—4—23 दिनांक 30.06.2023	तदैव
11.	श्री मंसूर कटियार, उप प्रबन्धक (प्रशा0 / सा0)	बीपीपीसी, मुख्यालय, कानपुर	क्षेत्रीय प्रबन्धक, बरेली एवं अतिरिक्त प्रभार क्षेत्रीय प्रबन्धक, कानपुर। 14.07.2023	कार्यालय ज्ञाप सं0 3923 / 77—4—23 दिनांक 30.06.2023	तदैव
12.	श्रीमती शर्मिला पटेल, उप प्रबन्धक (प्रशा0 / सा0)	औ0क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।	परियोजना अधिकारी, गाजियाबाद। 14.07.2023	कार्यालय ज्ञाप सं0 3931 / 77—4—23 दिनांक 30.06.2023	तदैव यूपीएसआईडीसी के आदेश दिनांक 26.11.2014 के द्वारा श्रीमती शर्मिला पटेल को निगम की सेवा से पदच्युत किया गया, जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या—66054 / 2014 में पारित आदेश दिनांक 16.04.2015 के अनुपालन में यूपीएसआईडीसी के आदेश दिनांक 18.04.2015 द्वारा अपने पदच्युत आदेश दिनांक 26.11.2014 को निरस्त कर दिया गया। उक्त के कम में यूपीएसआईडीसी द्वारा श्रीमती शर्मिला पटेल की योगदान आख्या दिनांक 18.04.2015 को स्वीकार की गयी। यूपीसीडा के स्तर पर श्रीमती पटेल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही गतिमान है।

(अनिन्द कुमार)
अनुभाग अधिकारी
औद्योगिक विकास अनुभाग-4,
उ०प्र० शासन।